न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी - सुश्री प्रियंका तलानिया आर.ए.एस.

अनवान -

ओम प्रकाश पुत्र श्री मोहनाराम उर्फ मुन्नाराम जाति रेगर निवासी वार्ड नं. 16 श्री विजयनगर तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

.....प्रार्थी.....

बनाम

1. शान्ति देवी पत्नी श्री मोहनाराम उर्फ मुन्नाराम जाति रेगर निवासी वार्ड नं. 16, नजदीक पुरानी गौशाला श्री विजयनगर तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
2. बुधराम पुत्र श्री मोहनाराम उर्फ मुन्नाराम जाति रेगर निवासी वार्ड नं. 16, श्री विजयनगर तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
3. कमला पुत्री मोहनाराम उर्फ मुन्नाराम जाति रेगर निवासी वार्ड नं. 16, री विजयनगर तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर।

.....अप्रार्थीगण.....

उपस्थिति - 1. श्री प्रेम चुघ वकील प्रार्थी
2. पैराकार राज तहसीलदार श्री विजयनगर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

प्रकरण संख्या - 49/2019 निर्णय दिनांक -30.10.2019

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

प्रार्थीया के द्वारा उपरोक्त अनवान का एक वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया है। उपरोक्त वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 जो कि प्रार्थी की माता है कि नाम से वाके चक 14 बी.जी.डी. तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 4 प.नं. 183/391 के किला नं. 1 ता 11 कुल 2.783 है. कमाण्ड भूमि जरिये आवंटन निर्णय दिनांक 28/11/1975 के द्वारा कीमत पुख्ता आवंटन किया गया। यहां यह बताना उचित है कि उपरोक्त रकबा अपने पति मोहनाराम उर्फ मुन्नाराम के देहान्त हो जाने से उसकी बेवा होने के कारण से परिवार के सदस्यों के आधार पर आवंटन किया गया एवं आवंटन के समय जो सूची अप्रार्थी संख्या 1 के परिवार द्वारा अपने पीहर की पेश की गई है उसमें स्वयं अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी के नाम सम्मलित है।

लगातार.....2

प्रियंका तलानिया (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

अतः इस आधार पर परिवार का मुखिया होने के नाते उसके नाम से आवंटन दर्ज किया गया है। उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को अपने पति के देहान्त हो जाने पर बेवा के रूप में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को एक परिवार मानते हुए सदस्यो के आधार पर आवंटन किया गया है इसलिए उक्त भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का बराबर का हक व हिस्सा निहित है। इसलिए प्रार्थी इसे प्राप्त करने का अधिकारी है। एवं प्रार्थी एव अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर आवंटन के रोज से साधिकार काबिज होकर काश्त कर रह है व इसमें अपना अथाह परिश्रम व धन खर्च कर इसे सवारा सुधारा और कृषि योग्य बनाया है। चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण काफी अर्सा से अप्रार्थी संख्या 1 से निवेदन करते रहे है कि वे भूमि का प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य उक्त भूमि का विधिक विभाजन करते हुए किला वाईज पृथक पृथक नाम से दर्ज करवा देवे। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रार्थी को आश्वासन भी दिया जाता रहा व कहा जाता रहा कि बेटा जमीन तुम ही काश्त कर रहो हो और तुम्हारी ही है। घबराने की कोई बात नहीं है जब कभी गांव में कैम्प आदि लगेगा तो अप्रार्थी संख्या 4 के समक्ष ब्यान देकर पृथक पृथक दर्ज करवा दूगी जिस पर प्रार्थी विश्वास करता रहा एवं समय व्यतीत होता रहा किन्तु चूंकि प्रार्थी के पिता मोहनाराम उर्फ मुन्नाराम का देहान्त हो चुका है एवं अप्रार्थी संया 1 के द्वारा अन्य व्यक्ति दुधाराम के साथ विवाह कर लिया है व अब दूधाराम से पैदा सन्तानों के प्रति अप्रार्थी संख्या 1 मोह बढ जाने के कारण उनके कहने में आकर भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के द्वारा किये गये सुधारों की बदौलत उसकी कीमतो में हुई आशातीत वृद्धि को देख कर अप्रार्थी संख्या 1 के मन में लालच और बेईमानी आ गई है इससे वशीभूत होकर दूधाराम से पैदा सन्तानों के बहकावे में आकर अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमि अब उनके नाम दर्ज करवाने की धमकी दे रही है। इस सम्बन्ध में चूंकि प्रतिवादिया के द्वारा हम प्रार्थी एवं अप्रार्थी के पक्ष में दिनांक 29/08/2017 को एक समझौता भी हो गया था जिसमें अप्रार्थीया ने यह लिखकर भी दिया कि उक्त वर्णित भूमि मैं अपने दोनों पुत्रो बुधराम व और प्रकाश के नाम से करवाने के लिए पाबन्द रहूगी। और वह अपने नाम से करवायेगे तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1 को अब उक्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज करवाने के लिए दिनांक 25/06/2019 को कहा तो अप्रार्थी संख्या 1 ने ऐलानियां कहा कि वह उक्त भूमि को अपने नाम से दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए उक्त भूमि को अपने दूधाराम से पैदा सन्तानो के नाम से या अन्य व्यक्ति के नाम से नुमाईशी दस्तावेज से दर्ज करवाकर प्रार्थी व अप्रार्थीगण को उसके साधिकार कब्जा से चली आ रही भूमि से जबरन बेदखल बल पूर्वक महरूम व बेदखल कर देगी। बस यही तारीख बिनाए मुखास्मत

लगातार..........3

(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

Scanned by CamScanner

वाद कारण है। चूंकि उपरोक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थी के पिता मोहनाराम के देहान्त उपरान्त सदस्यो के आधार पर मात्र परिवार का मुखिया होने के कारण आवंटन हुई है। तब से लेकर आज रोज तक प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के प्रतिकूल कब्जा में चली आ रही है। उक्त भूमि बाबत समस्त खातेदारी अधिकारी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण में औध हो चुके है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि को संवारा व सुधारा है एवं कृषि योग्य बनाया है मामला भी प्रार्थी के द्वारा अदा किया जा रहा है। इसलिए प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का उक्त भूमि में बराबर बराबर का हक व हिस्सा हैं व प्रार्थी उक्त भूमि में अपना 1/4 हिस्सा घोषित करवाकर किला वाईज अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी किस्म अनुसार खाला, रास्ता अनुसार सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विधिक विभाजन करवाकर मुताबिक डिक्री राजस्व रिकार्ड में के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है। अप्रार्थीया संख्या 1 अपने उक्त विधि विरूद्ध कृत्य में कामयाब हो जाती है तो प्रार्थी के विधिक अधिकारो का हनन होगा व अपनी पैतृक सम्पति के हक व हिस्सा कृषि भूमि से महरूम व वंचित होना पडेगा। अपने नाम से अमलदरामद करवाने का विधिक अधिकारी है व प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 जबकि प्रार्थी की आय का यही मात्र एक जरिया कृषि भूमि है। इससे प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। एवं तृतीय पक्षकार के हित सृजित होने से काश्त आदि मे भारी असुविधा होगी, पक्षकारो के मध्य मुकदमे बाजी बढेगी, विवाद बढेगा। वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक अप्रार्थीगण को इस अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थी संख्या 1 विवादित भूमि वाके चक 14 बी.जी.डी. तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 4 प.नं. 183/391 के किला नं. 1 ता 11 कुल 2.783 है. कमाण्ड भूमि जो अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज है, को रहन, बैय, विक्रय या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने से बाज व ममनू रहे और मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 बाद तामील नोटिस न्यायालय में उपस्थित नहीं आये। जिनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी पैरोकार राज की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ। प्रार्थी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

लगातार.....4

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो एवं कानूनी प्रावधानों पर मनन किया गया और निष्कर्ष रूप में यह पाया कि विवादित भूमि वाके चक 14 बी.जी.डी. तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 4 प.नं. 183/391 के किला नं. 1 ता 11 कुल 2.783 है. कमाण्ड भूमि उपरोक्त रकबा मोहनाराम उर्फ मुन्नाराम के देहान्त हो जाने से उसकी बेवा होने के कारण से परिवार के सदस्यों के आधार पर आवंटन किया गया एवं आवंटन के समय जो सूची अप्रार्थी संख्या 1 के परिवार द्वारा अपने परिवार की पेश की गई है उसमें स्वयं अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी के नाम सम्मलित है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 का पुत्र है। यदि अप्रार्थीगण उक्त विवादित भूमि को आगे रहन, बेचान कर देते है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी। इसलिए प्रार्थी को न पूरा होने वाला नुकसान होगा। अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है। एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह चक 14 बी.जी.डी. तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 4 प.नं. 183/391 के किला नं. 1 ता 11 कुल 2.783 है. कमाण्ड भूमि के रिकॉर्ड की यथास्थिति प्रार्थी के हिस्से तक वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/10/19

(प्रियंका तलानिया R.A.S.)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2019.11.18 17:08:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: